

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 410]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2015—आश्विन 15, शक 1937

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्र. 21766-वि.स.स्था.-15.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा एतद्वारा, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2012 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. (एक) नियम 3 के उपनियम (1) एवं उपनियम (2);
(दो) नियम 4;
(तीन) नियम 5 के उपनियम (1), उपनियम (2), उपनियम (3) तथा उपनियम (4); एवं
(चार) नियम 7 के उपनियम (1) में;
शब्द “नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प” के पश्चात् शब्द “या भारतीय पोस्टल आर्डर” स्थापित किए जाएं तथा
2. प्रपत्र-एक के पद क्रमांक 8 में शब्द “नगद/स्टॉम्प” के स्थान पर शब्द “नगद/स्टॉम्प/भारतीय पोस्ट आर्डर” तथा पद क्रमांक 9 के पश्चात् अंकित टीप में शब्द “नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प” के पश्चात् शब्द “या भारतीय पोस्टल आर्डर” स्थापित किए जाएं।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
भगवानदेव इसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।